क्रय तिथि : 18.05.2015 दोपहर 2.00 बजे तक
जमा करने की तिथि : 18.05.2015 सांय 3.00 बजे
मूल्य : 200/– रूपये

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण

(बी–ब्लॉक, तृतीय तल, तिलक मार्ग, योजना भवन, जयपुर फोन नं. 2226861 फैक्स 5104844)

जयपुर, दिनांक

सूचीबद्ध करने की शर्तें

1. गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं को न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव वांछित है। **(अनुच्छेद में पृथक से सम्बन्धित दस्तवेजों को बिन्दु संख्या 1 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रुप से मार्क करें)।**
2. गैर सरकारी संगठन को गैर कृषि क्षेत्र में हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यो का अनुभव होना चाहिये तथा गत् 5 वर्षों में राजकीय संस्थाओं में रूडा के उपक्षेत्र जैसे कि ऊन एवं वस्त्र, लघु खनिज, चर्म क्षेत्र अथवा हस्तशिल्प से संबंधित प्रशिक्षण/कार्यक्रम /डाईगोनेस्टिक स्टेडी इत्यादि कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। उक्त 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों के कार्य आवंटन पत्र संलग्न करना आवश्यक है **(अनुच्छेद में पृथक से सम्बन्धित दस्तवेजों को बिन्दु संख्या 2 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रुप से मार्क करें)।**
3. गैर सरकारी संगठन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एवं आयकर अधिनियम आवश्यक होने पर के तहत पंजीकृत हो **(अनुच्छेद में पृथक से सम्बन्धित दस्तवेजों को बिन्दु संख्या 3 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रुप से मार्क करें)।**
4. गैर सरकारी संगठन/संस्था के मुख्य कार्यकारी अथवा प्रबंध कार्यकारिणी/निदेशक मंडल के सदस्य किसी अपराध के लिय सजा प्राप्त नहीं हों।
5. गैर सरकारी संगठन/संस्था गैर राजनीतिक एवं धर्म निरपेक्ष हो।
6. गैर सरकारी संगठन/संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो एवं इसमें विगत 3 वर्षों में प्रोजेक्ट कियान्वयन हेतु कम से कम 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष के फंड्स का उपयोग किया हो। **(अनुच्छेद में पृथक से तीन वर्षों की सनदी लेखाकार द्वारा जारी बैंलन्सशीट के दस्तवेजों को बिन्दु संख्या 6 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रुप से मार्क करें)।**
7. गैर सरकारी संगठन के पास क्रियान्वयन से संबधित विशेषज्ञों तथा प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेजर, मास्टर ट्रेनर डिजाईनर तकनीकि विशेषज्ञ एवं मार्केटिंग असिसटेण्ट का पेनल एवं पर्याप्त स्टाफ एवं संसाधन उपलब्ध हों।
8. गैर सरकारी संगठन/संस्था की राजकीय संस्थाओं/समाज एवं दानदाताओं में अच्छी प्रतिष्ठा हों एवं राज्य/केन्द्र सरकार अन्य कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा विगत 2 वर्षों में इसे ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो।
9. गैर सरकारी संगठन/संस्था में लेखा संधारण अंकेक्षण एवं मानव श्रम प्रबधंन की समुचित व्यवस्था हो।
10. गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं को प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य का आवंटन रुडा के प्रबन्धन द्वारा निर्णय लेकर किया जायेगा। गैर सरकारी संगठनों के सूचीबद्ध होना

किसी भी प्रकार से उन्हें परियोजना के संचालन में उनकी भागीदारी को सम्मिलित करना बाध्यता नहीं होगी।

11. सूचीबद्व गैर सरकारी संगठनों को भविष्य में विभिन्न प्रशिक्षण इत्यादि से सम्बन्धित कार्य का आवंटन रुडा में इस प्रकार के कार्य की आवश्यकता पर सूचीबद्व संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों की उपयोगिता, आवश्यकता व गुणवता पर दिया जावेगा तथा आवश्यकता होने पर रुडा द्वारा संस्थाओं सं सम्बन्धित परियोजना प्रस्ताव पर प्रजेन्टेशन लिया जा सकता है।

12. इच्छुक गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं को बतौर अमानत राशि रूपये 5000/– केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करानी होगी जिसके बिना संबंधित प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। **(अमानत राशि जमा कराने का प्रमाण–पत्र तकनीकी निविदा फार्म के साथ अनुच्छेद संख्या 12 के रुप में संलग्न करना होगा।)**

13. सफल गैर सरकारी संगठन का चयन निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा। असफल गैर सरकारी संगठन के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

14. सफल गैर सरकारी संगठन से अनुबन्ध 12 माह के लिए प्रभावी होगी तथा इस अनुबन्ध को रूडा गैर सरकारी संगठन के संतोषप्रद सेवाओं पर 1 वर्ष की अवधि के लिए बढाने का अधिकार होगा।

15. रुडा द्वारा पंजीकृत एन.जी.ओ. को कार्य आवंटन रुडा में कार्यक्षेत्र उकी आवश्यकता एवं उपलब्ध बजट तथा अन्य राजकीय निर्देशों के आधार पर दिया जावेगा। कार्य आंवटन रुडा के प्रशिक्षण तथा अन्य स्वीकृत मोड्यूलो के अनुरुप ही दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियां में इन मोड्यूल में छुट का अधिकार रुडा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय को होगा।

16. यदि आवश्यकता हुई तो एन.जी.ओ. (गैर सरकारी संगठन) को क्षेत्रवार पैनल तैयार किया जावेगा। यह क्षेत्राधिकारी रुडा के पास सुरक्षित रहेगा।

17. संस्था को आवश्यक शर्तो के क्रम में नोटरी द्वारा सत्यापित शपत्र पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। **(अनुच्छेद में पृथक से सम्बन्धित दस्तवेजों को बिन्दु संख्या 17 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रुप से मार्क करें)।**

18. गैर सरकारी संगठन के विधान में क्षेत्राधिकार एवं उदेश्यों में स्पष्ट रुप से प्रशिक्षण/स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये जाने का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।**(अनुच्छेद में पृथक से सम्बन्धित दस्तवेजों (विधान) को बिन्दु संख्या 17 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रुप से मार्क करें)।**

19. अधिक संख्या में गैर सरकारी संगठन के प्रस्ताव आने पर अनुभव एवं मापदण्डो के आधार पर वरीयता सूची बनाकर उचित संस्या में एन.जी.ओ. को पंजीकृत दिया जायेगा। रुडा में पूर्व में कार्य कर चुके गैर सरकारी संगठनों को प्राथमिकता दी जावेगी। यह क्षेत्राधिकारी रुडा के पास सुरक्षित रहेगा। **(यदि रुडा के साथ पूर्व में कार्य किया हो तो अनुच्छेद में पृथक से रुडा के साथ किये गये कार्यों से सम्बन्धित दस्तवेजों को वर्षवार बिन्दु संख्या 18 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रुप से मार्क करें)।**

20. पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों उसके पंजीकृत जिले के आधार पर भी कार्य आंवटन में प्राथमिकता दी जा सकती है। यह क्षेत्राधिकारी रुडा के पास सुरक्षित रहेगा।

21. जो अभिरूचि प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं की जायेगी उन पर विचार नही किया जायेगा।

22. अभिरूचि प्रस्ताव प्राधिकारी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर है।

23. अभिरूचि प्रस्ताव सील बन्द लिफाफे में दिनांक .... को अपरान्ह 3.00 बजे तक, या इससे पूर्व कार्यालय बाक्स में जमा कराई जा सकती है। इसके पश्चात् प्राप्त अभिरूचि प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

24. गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं को आयकर, सेवाकर एवं अन्य जो भी राजकीय एवं केन्द्रीय कर लागू है के प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। **(अनुच्छेद में पृथक से सम्बन्धित दस्तवेजों को बिन्दु संख्या 24 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रुप से मार्क करें)।**

25. न्यायिक विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होंगे।

26. किसी भी विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होंगे।

27. स्वैछिक विकास परिषद के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों का पंजीयन आवश्यक करने पर कार्य आवंटन पंजीयन होने की शर्ताधीन रहेगा। वर्तमान में पंजीयन होने की स्थिति में दस्तावेज संलग्न करे अन्यथा इस सम्बन्ध में अन्डरटेंकिग प्रस्तुत करे। **(अनुच्छेद में पृथक से सम्बन्धित दस्तवेजों को बिन्दु संख्या 24 अंकित करते हुये संलग्न कर स्पष्ट रुप से मार्क करें)।**

28. किसी प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (रूडा) को पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक हस्ताक्षर संस्था प्रतिनिधि

जयपुर दिनांक............................ 2015

निविदा फार्म

1. प्रेषकः

क.	गैर सरकारी संगठनों / संस्था का नाम	
ख.	पता	
ग.	दूरभाष नं.	
	फैक्स	

2. निविदा संदर्भ : दिनांक

3.

क.	गैर सरकारी संगठनों / संस्था का नाम	
ख.	संबंधित व्यक्ति का नाम	
ग.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
घ.	दूरभाष नं.	
ड़.	फैक्स नं.	

4. निविदा–फॉर्म फीस (रू. 200/–) रसीद संख्या.............................दिनांक........................ द्वारा जमा कर दी गई है।

5. अमानत राशि जमा कराने का विवरणः–

	अमानत राशि जमा	संख्या	दिनांक
क.	ड्राफ्ट/बैंकर चैक (स्थानीय)		

दिनांक

हस्ताक्षर संस्था प्रतिनिधि

जयपुर दिनांक.......................... 2015

तकनीकी भाग

1.	संस्था का नाम	
2.	कार्यालय का नाम	
3.	मुख्य कार्यकारी व्यक्ति का नाम क. दूरभाष नं. ख. मोबाईल नं. ग. फैक्स नं. घ. ई मेल पता	
4.	पंजीकृत संस्थासोसायटी रजि. एक्ट/ सहकारिता अधिनियम/ भारतीय कम्पनी अधिनियम/ फर्म रजिस्ट्रेशन/ आयकर अधिनियम/ सर्विस टैक्स से संबंधित सूचना अंकित करें। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
5.	संस्था का पेन नम्बर	
6.	कार्य अनुभव कुल वर्षो में अंकित करें।(शर्त संख्या1)	
7.	गत् 5 वर्षो में सम्पन्न की गई परियोजनाऐं एवं राजकीय संस्थाओं के लिए किये गये कार्यक्रमों के संबंध में सूचना एवं प्रमाण संलग्न करें। (शर्त संख्या 2)	
8.	रूडा के लिए गत् वर्षो में की गई डाइगोनेस्टिक स्टेडी यदि कोई हो तो सूचना अंकित करें।	
9.	विगत 3 वर्षों में प्रोजेक्टस क्रियान्वयन हेतु आवंटित एवं उपयोग की गई राशि का विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें) वर्ष विभाग आवंटित राशि उपयोग की गयी राशि 2011—12 2012—13 2013—14	
10.	संस्था/कार्यरत स्टाफ का विवरण	
11.	अमानत राशि का विवरण (शर्त संख्या 12)	
11.	पात्रता की शर्तों से बाध्यता के संबंध में शपथ पत्र (10 रु के नॉनज्यूडिशिल ंसलग्न करें) (शर्त संख्या 17)	
12.	संस्था विधान के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम/स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाने का उल्लेख (विधान की प्रति संलग्न कर मार्क करें। (शर्त संख्या 18)	

13.	रुडा में कार्य करने का अनुभव यदि हो तो (शर्त संख्या 19)	
14.	अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (शर्त संख्या 24)	
15.	स्वैच्छिक विकास परिषद के अन्तर्गत पंजीयन यदि हो तो (शर्त संख्या 27)	
16.	अन्य विवरण यदि आवश्यक हो तो	

दिनांक   हस्ताक्षर संस्था प्रतिनिधि

संलग्न दस्तावेजों की चैक लिस्ट

क. सं.	शर्त संख्या	संलग्न दस्तावेजो का विवरण	दस्तावेजों की संख्या	हॉ/नहीं
1.	1			
2.	2			
3.	3			
4.	6			
5.	12			
6.	17			
7.	18			
8.	19			
9.	23			
10.	27			

ऊपर वर्णित आवश्यक दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज भी संस्था संलग्न कर सकती है।

शपथ पत्र का प्रारूप (10 रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं......................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..उम्र........... ....जाति.....................................निवासी..जो कि........................... ....नाम गैर सरकारी संगठनों/संस्था में........... ....पद पर कार्यरत हूँ, शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. गैर सरकारी संगठन को न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव है।
2. गैर सरकारी संगठन को गैर कृषि क्षेत्र में हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यो का अनुभव होना है तथा गत् 5 वर्षों में राजकीय संस्थाओं में रूडा से संबंधित गैर कृषि उपक्षेत्र जैसे कि ऊन एवं वस्त्र, लघु खनिज, चर्म क्षेत्र एवं हस्तशिल्प से संबंधित प्रशिक्षण/कार्यक्रम /डाईगोनेस्टिक स्टेडी कार्य का अनुभव है।
3. गैर सरकारी संगठन संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एवं आयकर अधिनियम आवश्यक हाने पर के तहत पंजीकृत है।
4. गैर सरकारी संगठन/संस्था के मुख्य कार्यकारी अथवा प्रबंध कार्यकारिणी/निदेशक मंडल के सदस्य किसी अपराध के लिय सजा प्राप्त नहीं है।
5. गैर सरकारी संगठन/संस्था गैर राजनीतिक एवं धर्म निरपेक्ष है।
6. गैर सरकारी संगठन/संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो एवं इसमें विगत 3 वर्षों में प्रोजेक्ट कियान्वयन हेतु आवंटित कम से कम 10 लाख रू के फंड्स का उपयोग किया है।
7. गैर सरकारी संगठन के पास क्रियान्वयन से संबधित विशेषज्ञों तथा प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेजर, मास्टर ट्रेनर डिजाईनर तकनीकि विशेषज्ञ एवं मार्केटिंग असिसटेण्ट का पेनल एवं पर्याप्त स्टाफ एवं संसाधन उपलब्ध हों।
8. गैर सरकारी संगठन/संस्था की राजकीय संस्थाओं/समाज एवं दानदाताओं में अच्छी प्रतिष्ठा हों एवं राज्य/केन्द्र सरकार अन्य कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा विगत 2 वर्षों में इसे ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो।
9. गैर सरकारी संगठन/संस्था में लेखा संधारण अंकेक्षण एवं मानव श्रम प्रबधंन की समुचित व्यवस्था हो।
10. गैर सरकारी संगठनों के सूचीबद्व होना किसी भी प्रकार से उन्हेंपरियोजना के संचालन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए गांरटी नहीं होगा।
11. सूचीबद्व गैर सरकारी संगठनों को भविष्य में विभिन्न प्रशिक्षण इत्यादि से सम्बन्धित कार्य का आवंटन रुडा में इस प्रकार के कार्य की आवश्यकता पर सूचीबद्व संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों की उपयोगिता, आवश्यकता व गुणवता पर दिया जावेगा तथा आवश्यकता होने पर रुडा द्वारा संस्थाओं सं सम्बन्धित परियोजना प्रस्ताव पर प्रजेन्टेशन लिया जा सकता है।
12. गैर सरकारी संगठन के उपविधान में प्रशिक्षण/स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये जाने का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

13. न्यायिक विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होंगे।

14. किसी भी विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होंगे।

15. किसी प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (रूडा) को पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान : हस्ताक्षर शपथग्रहिता

दिनांकः

गवाह

<u>सत्यापन</u>

मैं.....................................पुत्र /पुत्री/पत्नी श्री..उम्र........................ जाति.....................................निवासी...सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं एवं इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाये गये है।।

स्थान : हस्ताक्षर शपथग्रहिता

दिनांकः